

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क  
१०  
६


सुं. नं० 156/16

ता० २३३ १२-८-१६

शंभुहरि बनाम रामसहाय वगै०

नि० मालासुला  
प्राथमिक पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा  
प्राप्ति वकील श्री मदनमोहन शर्मा ने  
प्राथमिक पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश  
किया / अवलोकन किया / प्राथमिक पत्र  
अस्थायी निषेधाज्ञा दुबई रजिस्टर कर  
सम्बन्ध अर्थात् गण को जारी हो  
पत्रावली दिनांक १९-८-१६ को पेश हो।

२३५५-५९  
१२-८-१६

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कठौती)

१९-८-१६

अर्थात् वकील उपस्थित / अर्थात् नं० १ ता० ५ की ओर  
से श्री हंसराम शर्मा A.W. ने मीमो-पेश किया / अर्थात्  
नं० ५६ काबजूद सूचना उपस्थित नहीं, उनके खिलाफ एक  
पक्षीय कार्यवाही अग्रलेख में लाई जाती है। बाकि पेश  
करने वकालतनामा व अवकाश दिनांक २६-८-१६ को पेश  
हो।

२६-८-१६ ककुलाय उप० अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस  
सुनी गई। बहस पर अनुरोध किया। पत्रावली का अवलोकन  
किया। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी बना उचित

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

13.12.16

अर्थात् वकील उपाधित / बहस सुनी गई / बहस  
पा मनन किया / पत्रावली का अवलोकन किया /  
अर्थात् यत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से  
स्वीकार का दिनांक 26.8.16 को जारी की गई अंतिम  
अस्थाई निषेधाज्ञा को तादाता फेरता कन्फर्म का  
गुप्त माधोपुरा की श्रीम स्वसुरामबा 438, 456, 460,  
463/448, 457, 458, 502, 503, 504, 511, 512, 513,  
514 कुल फिला 13 कुल रकम 3.11 है पा रिजिस्ट्रेशन  
मौके की चर्चा स्थिति क्लॉप रखे हुए जैसा यत्न को  
पा बन्द किया जाता है पत्रावली फेरता शुभ होकर  
दाता पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)